

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 42  
राज्यों को अंतरण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	203566.83	148802.28	352369.11	292333.77	56850.01	349183.78	276838.15	201100.00	477938.15	235240.00	132380.01	367620.01
वसूलियां	-5824.28	...	-5824.28	-6100.00	...	-6100.00	-6130.00	...	-6130.00	-6400.00	...	-6400.00
प्राप्तियां	-5820.00	-129250.13	-135070.13	-6100.00	-43681.78	-49781.78	-6130.00	-180283.92	-186413.92	-6400.00	-20480.59	-26880.59
निवल	191922.55	19552.15	211474.70	280133.77	13168.23	0	264578.15	20816.08	285394.23	222440.00	111899.42	334339.42

क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण

वित्त आयोग अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान

1. हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान	74340.00	...	74340.00	118452.00	...	118452.00	118452.00	...	118452.00	86201.00	...	86201.00
2. राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान	22262.43	...	22262.43	22184.00	...	22184.00	17747.20	...	17747.20	18635.20	...	18635.20
3. राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान	...	...	...	...	...	...	4436.80	...	4436.80	4658.80	...	4658.80
4. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान												
4.01 ग्रामीण निकाय	60750.00	...	60750.00	44901.00	...	44901.00	42623.00	...	42623.00	46513.00	...	46513.00
4.02 शहरी निकाय	26710.07	...	26710.07	22114.00	...	22114.00	14614.00	...	14614.00	22908.00	...	22908.00
जोड़- स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	87460.07	...	87460.07	67015.00	...	67015.00	57237.00	...	57237.00	69421.00	...	69421.00
5. स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान	...	...	...	13192.00	...	13192.00	13192.00	...	13192.00	13192.00	...	13192.00
6. अन्य अनुदान	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के तहत अनुदान	184062.50	...	184062.50	220843.00	...	220843.00	211065.00	...	211065.00	192108.00	...	192108.00

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>जोड़-वित्त आयोग अनुदान</b>	<b>184062.50</b>	...	<b>184062.50</b>	<b>220843.00</b>	...	<b>220843.00</b>	<b>211065.00</b>	...	<b>211065.00</b>	<b>192108.00</b>	...	<b>192108.00</b>
<b>अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>												
7. विशेष सहायता	1996.16	...	1996.16	15000.00	...	15000.00	5000.00	...	5000.00	15000.00	...	15000.00
8. कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता	...	...	...	35000.00	...	35000.00	39000.00	...	39000.00	5000.00	...	5000.00
9. पूंजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता	...	11830.29	11830.29	...	10000.00	10000.00	...	15000.00	15000.00	...	100000.00	100000.00
10. जीएसटी मुआवजे में हुई कमी के बदले राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण	...	110208.00	110208.00	...	0.01	0.01	...	159000.00	159000.00	...	0.01	0.01
	...	-110208.00	-110208.00	...	-0.01	-0.01	...	-159000.00	-159000.00	...	-0.01	-0.01
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	3431.06	...	3431.06	3000.00	...	3000.00	4165.00	...	4165.00	3722.00	...	3722.00
12. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण)	...	26763.99	26763.99	...	46750.00	46750.00	...	27000.00	27000.00	...	32280.00	32280.00
	...	-19042.13	-19042.13	...	-43581.77	-43581.77	...	-21183.92	-21183.92	...	-20380.58	-20380.58
<i>निवल</i>	...	7721.86	7721.86	...	3168.23	3168.23	...	5816.08	5816.08	...	11899.42	11899.42
13. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण												
13.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण	5820.00	...	5820.00	6100.00	...	6100.00	6130.00	...	6130.00	6400.00	...	6400.00
13.02 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (सीमा-शुल्क)	-721.19	...	-721.19	-850.00	...	-850.00	-880.00	...	-880.00	-900.00	...	-900.00
13.03 घटाएं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)	-5098.81	...	-5098.81	-5250.00	...	-5250.00	-5250.00	...	-5250.00	-5500.00	...	-5500.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14. राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता												
14.01 राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से राज्यों को सहायता	8257.11	...	8257.11	12390.77	...	12390.77	9000.00	...	9000.00	10408.00	...	10408.00
14.02 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से राज्यों को सहायता	...	...	...	...	...	...	2478.15	...	2478.15	2602.00	...	2602.00
14.03 राशि में हुई कमी को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से अंतरण से पूरी की गई राशि	-5820.00	...	-5820.00	-6100.00	...	-6100.00	-6130.00	...	-6130.00	-6400.00	...	-6400.00
<i>निवल</i>	2437.11	...	2437.11	6290.77	...	6290.77	5348.15	...	5348.15	6610.00	...	6610.00
15. राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पहले अर्थापय)	...	...	...	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00

अनुदानों की मांगों पर टिप्पणियां, 2022-2023

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
अग्रिम)	...	...	...	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00	...	-100.00	-100.00
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16. वास्तविक वसूलियां	-4.28	...	-4.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-अन्य अनुदान/ऋण/अंतरण</b>	<b>7860.05</b>	<b>19552.15</b>	<b>27412.20</b>	<b>59290.77</b>	<b>13168.23</b>	<b>72459.00</b>	<b>53513.15</b>	<b>20816.08</b>	<b>74329.23</b>	<b>30332.00</b>	<b>111899.42</b>	<b>142231.4</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>191922.55</b>	<b>19552.15</b>	<b>211474.70</b>	<b>280133.77</b>	<b>13168.23</b>	<b>293302.0</b>	<b>264578.15</b>	<b>20816.08</b>	<b>285394.23</b>	<b>222440.00</b>	<b>111899.42</b>	<b>334339.4</b>
						0						2
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. विविध सामान्य सेवाएं	-4.28	...	-4.28	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>-4.28</b>	...	<b>-4.28</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
2. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	...	...	...	35000.00	...	35000.00	39000.00	...	39000.00	5000.00	...	5000.00
3. प्राकृतिक आपदा खाते पर राहत	2437.11	...	2437.11	6290.77	...	6290.77	2870.00	...	2870.00	4008.00	...	4008.00
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>2437.11</b>	...	<b>2437.11</b>	<b>41290.77</b>	...	<b>41290.77</b>	<b>41870.00</b>	...	<b>41870.00</b>	<b>9008.00</b>	...	<b>9008.00</b>
<b>अन्य</b>												
4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	189489.72	...	189489.72	238843.00	...	238843.0	222708.15	...	222708.15	213432.00	...	213432.0
						0						0
5. राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	...	19552.15	19552.15	...	13168.23	13168.23	...	20816.08	20816.08	...	111899.42	111899.4
												2
<b>जोड़-अन्य</b>	<b>189489.72</b>	<b>19552.15</b>	<b>209041.87</b>	<b>238843.00</b>	<b>13168.23</b>	<b>252011.2</b>	<b>222708.15</b>	<b>20816.08</b>	<b>243524.23</b>	<b>213432.00</b>	<b>111899.42</b>	<b>325331.4</b>
						3						2
<b>कुल जोड़</b>	<b>191922.55</b>	<b>19552.15</b>	<b>211474.70</b>	<b>280133.77</b>	<b>13168.23</b>	<b>293302.0</b>	<b>264578.15</b>	<b>20816.08</b>	<b>285394.23</b>	<b>222440.00</b>	<b>111899.42</b>	<b>334339.4</b>
						0						2

1. **हस्तांतरण-पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान:** वित्त आयोग ने केंद्रीय करो और परियोजनाओं में प्रत्येक राज्य की साझेदारी तय कर दी है। प्रत्येक राज्य का राजस्व घाटा अनुदान राज्य की अनुमानित राजस्व प्राप्तियों पर आधारित को अनुमानित होता है। प्रत्येक राज्य की आबंटन की हिस्सेदारी अनुमानित विचलन पूर्व राजस्व घाटे आधारित होती है।

2. **राज्य आपदा मोचन कोष के लिए सहायता अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को आपदा राहत के लिए वित्तपोषण हेतु आबंटन कर दिया गया है।

3. **राज्य आपदा शमन निधि हेतु सहायता अनुदान:** राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीएमएफ) के लिए सहायता अनुदान

4. **स्थानीय निकायों के लिए अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों (ग्रामीण तथा शहरी) के लिए अनुदान किए गए हैं।
5. **स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आबंटन कर दिया गया है।
6. **अन्य अनुदान:** वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अन्य विभिन्न अनुदानों के लिए आबंटन कर दिया गया है।
7. **विशेष सहायता:** यह प्रावधान (क) प्रतिबद्ध देयताओं जिनके लिए बजट प्रावधान नहीं किया जाता है, और (ख) राज्यों के लिए अन्य आवश्यकता आधारित सहायता के लिए निर्धारित किया गया है।
8. **कोविड-19 टीकाकरण हेतु सहायता:** यह प्रावधान कोविड-19 टीकाकरण में व्यय को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चिन्हित किया गया है।
9. **पूँजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता:** यह प्रावधान वर्तमान वृहत् आर्थिक परिदृश्य के कारण पूँजी व्यय हेतु राज्यों को ऋण देने के लिए चिन्हित किया गया है।
10. **जीएसटी मुआवजे में हुई कमी के बदले राज्यों को बैंक टू बैंक ऋण:** यह प्रावधान जीएसटी प्रतिपूर्ति में कमी के बदले राज्यों को बैंक-टू-बैंक ऋण देने के लिए बनाया गया है।
11. **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुदान):** विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता इसी मांग से दी जाती है। बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर अप्रैल, 2005 से बाह्य सहायता को बैंक टू बैंक अंतरित करने की नई प्रणाली लागू की गई थी जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों को उन्हीं शर्तों पर -बाह्य सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जिन शर्तों पर केन्द्र सरकार को दाता एजेंसियों से सहायता प्राप्त होती है। अंतरण की एक नई व्यवस्था आरंभ की गई थी जिन पर यह राज्यों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अनुदान घटक के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है।
12. **बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (बड़े ऋण):** राज्यों को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ऋण घटक के लिए धनराशि का प्रावधान पूँजी भाग के तहत किया गया है। इसके ऋण घटक की वसूली मुख्य शीर्ष 6002 के तहत की जाती है।
- 13.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष को अंतरण:** प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राहत पर व्यय।
- 14.01. **राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से राज्यों को सहायता:** गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से धनराशि की पूर्ति के लिए तत्काल पश्चात् राहत दी जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से सहायता, असाधारण कठिनाई और प्राकृतिक आपदाओं के समय में राज्यों को तत्काल सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
- 14.02. **राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीएमएफ) से राज्यों को सहायता**
15. **राहत हेतु अग्रिम सहायता के रूप में ऋण (पहले अर्धोपाय अग्रिम):** अस्थायी अग्रिम का यह प्रावधान अल्पकालिक नकदी के असंतुलन से निपटने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए है।